भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2047
दिनांक 31 जुलाई 2025

सीएनजी और पीएनजी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

†2047 **श्री जिया उर रहमान:**
श्री छोटेलाल:

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को सीएनजी और पीएनजी अवसंरचना की सीमित उपलब्धता, नए गैस कनेक्शनों में देरी, पेट्रोल और डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों जैसी चुनौतियों का सामना करना पढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और गरीब परिवारों पर पड़ता है;

(ख) यही हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दूरदराज के क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क में सुधार, सीएनजी और पीएनजी के लिए अवसंरचना का विस्तार, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): खाना पकाने और मोबिलिटी के लिए वहनीय और स्वच्छ फ्यूल प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। अंतत: संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी), तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), एथेनॉल, संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) और ईलेक्ट्रिक मोबीलिटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए है।

पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करना और संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का एक हिस्सा है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार प्राधिकृत की गई कंपनियों द्वारा किया जाता है।

12/12 ए सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के बाद, पीएनजीआरबी ने ग्रामीण और पिछड़े भागों सहित देश भर के मुख्य-भूमि (आईलैंड को छोड़कर) के लगभग 100% भाग को कवर करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत किया है। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत कंपनियों ने देश के दक्षिण भागों सहित देश भर में लगभग 1.4 करोड़ पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन उपलब्धं कराएं हैं।

सरकार ने सीएनजी (ट्रांसपोर्ट) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस आवंटित करना; सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस को डायवर्ट करना,

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, बायो-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प (एसएटीएटी) पहल आदि शामिल हैं। सरकार ने यह भी अधिसूचित किया है कि गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस का सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति करेगी।

समस्त देश में गरीब परिवारों के वयस्क महिलाओं को जमानत-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) का शुभारंभ मई 2016 में किया गया था। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार समस्त देश में 10.33 करोड़ की पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

योजना के प्रति जागरूकता लाने और एलपीजी के उपयोग से संबंधित किसी समस्या की समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें पीएमयूवाई के प्रति जागरूकता मे सुधार लाने के लिए अभियान चलाना, कनेक्शनों का नामांकन और वितरण करने के लिए मेले/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स द्वारा प्रचार करना, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार करना, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन और बैंक खाते खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों को सुविधा प्रदान करना शामिल है। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की खपत को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राजसहायता राशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने हेतु राजी करने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन, जन जागरूकता शिविर आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.47 हो गई है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक वहनीय बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथाआनुपातिक) 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपए की निर्धारित राजसहायता आरम्भ की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 553 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली) में के प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। यह पुरे देश में 10.33 करोड़ से अधिक उज्जवला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 25,573 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं, जिनमें से 17,646 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन्हें देश भर में स्थित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के 213 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुँच में सुधार के लिए, ओएमसीज ने देश भर में दिनांक 01.04.2016 से 30.06.2025 के दौरान 7997 डिस्टरीब्यूटरशिप नियुक्त की हैं, जिनमें से 7403 (अर्थात 93%) [रूर्बन- 1033, ग्रामीण- 4991, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी+ आरजीजीएलवी) - 1379] ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में

संबंधित उत्पादों की कीमत से जुड़ी हुई हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतें (भारतीय बास्केट) $5.5/बीबीएल (मार्च 2015) से बढ़कर $113/बीबीएल (मार्च 2022) और आगे बढ़कर $116/बीबीएल (जून 2022) हो गई हैं और विभिन्न भू-राजनीतिक और बाजार कारकों के कारण इसमें उतार-चढ़ाव जारी है।

घरेलू रुप में, सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरुप पेट्रोल और डीजल के के मूल्य कम होकर क्रमश: (दिल्ली में मूल्य) 94.77 रुपए और 87.67 रुपए हो गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर दो बार नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्रीय उत्पादन शुल्क में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की, जिसका लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दे दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरें कम कर दी। मार्च, 2024 में, ओएमसीज ने पेट्रोल और डीजल, प्रत्येतक के खुदरा मूल्योंन में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की। अप्रैल 2025 में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई परंतु इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

हाल ही में पीएसयू-ओएससीज ने अंतर-राज्यीय भाड़े का युक्तिजकरण किया है। इसका लाभ राज्यों में पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकनट्स (पीओएल) डिपो से दूर रहने वाले सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की पेट्रोल और डीजल के घटे हुए मूल्यों के रूप में प्राप्त हुआ है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम कर दिया है।

सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से बचाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल थे।

जीवाशय ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने के लिए सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) एक हरित और नवीकरणीय ईंधन के रूप में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करती है। एथेनॉल महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी आती है, विदेशी मुद्रा की संरक्षित होती है और घरेलू कृषि क्षेत्र को समर्थन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा दे रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के साथ-साथ जीवाशय ईंधनों पर आयात निर्भरता में कमी करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), हरित हाइड्रोजेन और संपीडित जैव गैस (सीबीजी) आदि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एमईएमएमपी) 2020 में राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने और पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा देने को लक्षित करते हुए भारत ने एलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण के लिए एक रूपरेखा का प्रावधान किया गया है। (एमईएमएमपी) 2020 के भाग के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) विभिन्न स्कीमों से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन (पीअलआई) ऑटमोबील और ऑटो कम्पोनन्ट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया के लिए स्कीम (पीअलआई-ऑटो), पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवलूशन इन एनोवेटिव वाहिकल एनहंसमेंट (पीएम-ई-ड्राइव) स्कीम, पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा कार्यातन्त्र (पीएसएम) स्कीम, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) एकोसिस्टम को मजबूत बनाने और एलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए पैन-इंडिया आधार पर भारत पर एलेक्ट्रिक पैसेंजर कर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) का कार्यान्वित करता है। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन पर भी बल दे रही है। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज ने फेम-II स्कीम के तहत अपने खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) पर 4523 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपनी स्वयं की निधियों से अपने आरओज पर 20,035 ईवीसीएस स्थापित किए हैं।

*****